



विनिर्माण गति:

आत्मनिर्भर भारत का निर्माण

अगस्त 14, 2026

प्रस्तावना

जहां भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, देश का विनिर्माण क्षेत्र आत्मनिर्भरता और प्रगति के स्तंभ के रूप में खड़ा है। पिछले 12 वर्षों में, मेक इन इंडिया विजन के तहत साहसिक सुधारों ने उद्योगों को नया आकार दिया है, जिससे देश एक वैश्विक हब के रूप में स्थापित हो गया है। रक्षा उपकरण, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण और भारी मशीनरी अब विश्व स्तरीय मानकों पर उत्पादित की जाती हैं, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में मांग की पूर्ति करते हैं। इस गति को और तेज करने के लिए, सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, भव्य और इलेक्ट्रॉनिक्स और एमएसएमई सेक्टरों के लिए जैसी कई पहल शुरू की हैं।

भारत के विनिर्माण इकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण

विनिर्माण क्षेत्र अब सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16-17 प्रतिशत का योगदान देता है और 27 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। 2022-23 से 2025-26 के दौरान संशोधित श्रृंखला के अनुसार स्थिर कीमतों (2022-23 आधार) पर विनिर्माण जीवीए की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 10.88 प्रतिशत है। जुलाई 2026 में व्यापारिक निर्यात 44.24 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यह 36.98 बिलियन डॉलर था। जून 2026 में विनिर्माण उत्पादन में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये संकेतक विनिर्माण को भारत के आर्थिक विकास के केंद्रीय चालक के रूप में दर्शाते हैं।



भारत का रक्षा रूपांतरण: आत्मनिर्भरता से वैश्विक निर्यात तक

पिछले एक दशक में भारत के रक्षा उद्योग में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। केंद्रित नीतियों, लक्षित निवेश और आत्मनिर्भरता के लिए मजबूत प्रयासों ने देश को रक्षा उपकरणों के एक महत्वपूर्ण उत्पादक और निर्यातक में बदल दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- स्वदेशी रक्षा उत्पादन का मूल्य वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड **₹1.78 लाख करोड़** पर पहुंच गया। यह पिछले वित्त वर्ष के **₹1,54,071 करोड़** की तुलना में **15.6% की वृद्धि** है, जबकि 2014-15 में यह **₹46,429 करोड़** था।
- रक्षा निर्यात 2013-14 के 686 करोड़ रुपये से बढ़कर **2025-26 में 38,424 करोड़** रुपये हो गया।
- भारतीय रक्षा उत्पाद अब **80 से अधिक** देशों में निर्यात किए जाते हैं, जो पिछले बारह वर्षों में **5,500 प्रतिशत** से अधिक की वृद्धि दर्शाते हैं।
- रक्षा पीएसयू और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों ने वित्त वर्ष 2025-26 में कुल उत्पादन में लगभग **76 प्रतिशत** का योगदान दिया। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर **24 प्रतिशत** हो गई, जो उद्योग की अधिक भागीदारी को दर्शाती है।
- मई 2026 तक, **5,521 मर्दों** को कवर करते हुए डीएमए और डीडीपी की पांच-पांच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों को अधिसूचित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ी।

- **सृजन डिफेंस इक्विपमेंट एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म (डीईईपी)** स्वदेशी रक्षा सोर्सिंग को बढ़ावा देने वाला एक डिजिटल रिपॉजिटरी है। मई 2026 तक, इसने **41,000 से अधिक विक्रेताओं** और **2.7 लाख उत्पादों** को सूचीबद्ध किया, जिससे घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाएं सुदृढ़ हुईं।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा

भारत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जिसने उत्पादन और निर्यात दोनों में असाधारण वृद्धि हासिल की है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति, स्पेक्स, ईएमसी 2.0 और पीएलआई जैसी लगातार नीतियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को नया आकार दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) जैसी योजनाओं ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग (ईएसडीएम) इकोसिस्टम को और मजबूत किया, जिससे विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिला। **इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 के 11.32 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 15.8 प्रतिशत की वृद्धि है।**

संकेतक	2014-15	2025-26	वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन	~1.9 लाख करोड़ रुपये	~13.11 लाख करोड़ रुपये	7 गुनी
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात	~38,000 करोड़	~4.24 लाख करोड़ रुपये	11 गुनी
मोबाइल फोन उत्पादन	~18,000 करोड़	~6.27 लाख करोड़ रुपये	33 गुनी
मोबाइल फोन निर्यात	~1,500 करोड़	~2.59 लाख करोड़ रुपये	165 गुनी

सेमीकॉन विनिर्माण

सेमीकंडक्टर गंतव्य के रूप में भारत का उदय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निरंतर सुधारों पर आधारित है। **सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम (सेमीकॉन 1.0)** को दिसंबर 2021 में **76,000 करोड़ रुपये** के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। इसे घरेलू सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके आधार पर, **सेमीकॉन 2.0** को जुलाई, 2026 में **1,27,500 करोड़ रुपये** के कुल बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम 1.0 के तहत प्रगति

जुलाई 2026 तक, **1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक** के निवेश के साथ बारह विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इनमें एक सिलिकॉन फैब, एक सिलिकॉन कार्बाइड फैब, एक एकीकृत गैलियम नाइट्राइड माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैब और नौ पैकेजिंग इकाइयां शामिल हैं। साथ में, उनसे उपभोक्ता उपकरणों, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और एयरोस्पेस में चिप आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद है।

बारह स्वीकृत प्रस्तावों में से, तीन कंपनियों, माइक्रोन, केन्स और सीजी सेमी ने पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। एक और कंपनी द्वारा 2026 में परिचालन शुरू करने की उम्मीद है, जो भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण आधार को और मजबूत करेगी।

भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि

भारत का मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र तेजी से बढ़ा है, जिससे घरेलू उत्पादन, निर्यात और मूल्यवर्धन सुदृढ़ हुआ है।

- भारत में उपयोग किए जाने वाले **99.2 प्रतिशत** मोबाइल फोन अब घरेलू स्तर पर बनाए जाते हैं।
- भारत मात्रा के हिसाब से दुनिया का **दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता** है।
- भारत 2014 के बाद से मोबाइल फोन के शुद्ध आयातक से **शुद्ध निर्यातक** बन गया है।
- **लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग (एलएसईएम)** के लिए पीएलआई योजना ने मोबाइल विनिर्माण इकोसिस्टम में लगभग 96,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है।
- उत्पादन और निर्यात में मजबूत वृद्धि के साथ-साथ वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू मूल्यवर्धन **23 प्रतिशत** तक पहुंच गया।
- स्मार्टफोन वित्त वर्ष 2025-26 में पेट्रोलियम, रत्न और आभूषणों को पीछे छोड़ते हुए भारत की निर्यात की जाने वाली शीर्ष एकल वस्तु बन गई।

मोबाइल फोन विनिर्माण योजना:

इस योजना को 15 जुलाई, 2026 को **62,500 करोड़ रुपये** के बजट के साथ अनुमोदित किया गया था। यह उत्पादन को बढ़ावा देने, घरेलू मूल्य संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करती है। पांच साल की यह योजना **वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31** तक चलेगी। स्थानीय सोर्सिंग, भारतीय ब्रांड, डिजाइन और अनुसंधान एवं विकास के लिए अतिरिक्त सहायता के साथ प्रोत्साहन **2.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत** तक है।

भारत की फार्मा बढ़त: विनिर्माण और निर्यात में वृद्धि

वैश्विक फार्मास्यूटिकल उद्योग में भारत मात्रा में तीसरे और मूल्य में 11वें स्थान पर है। यह दुनिया की 20 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं और टीकों के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करके विश्व भर में किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पादन, निर्यात और घरेलू नवाचार में लगातार वृद्धि ने एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति मजबूत की है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- 2024-25 में, इस सेक्टर का वार्षिक कारोबार 4.72 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- इस सेक्टर के तहत तीन पीएलआई योजनाओं का कुल बजटीय परिव्यय 25,360 करोड़ रुपये है और इसने 51,997 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित किया है।
- इन योजनाओं ने 2.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात सहित संचयी बिक्री में 3.88 लाख करोड़ रुपये की कमाई की है।
- सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और क्रिटिकल इम्प्लांट सहित 218 एपीआई/केएसएम/ड्रग इंटरमीडिएट्स और 57 चिकित्सा उपकरणों के लिए विनिर्माण क्षमता का सृजन किया गया है।
- चिकित्सा उपकरणों का निर्यात 2019-20 में 26,915 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 42,360 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि के दौरान घरेलू विनिर्माण 28,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 41,500 करोड़ रुपये हो गया।
- बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना: बल्क ड्रग्स के विनिर्माण की लागत को कम करने के लिए विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी ढांचे के साथ तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए 2020 में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। वित्त वर्ष 2022-23 में आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तीन पार्कों को मंजूरी दी गई थी।
- बायोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा उन्नति के लिए रणनीति) योजना: इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ की गई थी।

वस्त्र और परिधान में वृद्धि: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्माण

भारत का वस्त्र और परिधान उद्योग इसके सबसे महत्वपूर्ण विनिर्माण सेक्टरों में से एक है। यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो 45 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है और एमएसएमई के नेतृत्व वाले औद्योगिक विकास में सहायता करता है।

- भारत के पास इस सेक्टर में कई प्राकृतिक और संरचनात्मक लाभ हैं, जैसे कि एक मजबूत कच्चे माल का आधार, पूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए विनिर्माण क्षमताएं और एक बड़ा घरेलू बाजार। इसके अतिरिक्त, देश दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है और सूती धागे का सबसे बड़ा निर्यातक है।
- वस्त्र और परिधान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में ~2 प्रतिशत, विनिर्माण जीवीए में 11 प्रतिशत और व्यापारिक निर्यात में 9 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- वित्त वर्ष 2025 में, भारत ने 37.7 बिलियन डॉलर के बराबर के कपड़ा उत्पादों का निर्यात किया। यह वैश्विक वस्त्र और परिधान निर्यात का 4.1 प्रतिशत हिस्सा है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर छठा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक बन गया है।
- वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना, पीएम मित्र पार्क, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, वस्त्र निर्यात संवर्धन मिशन, राष्ट्रीय फाइबर मिशन और हाल ही में घोषित कपास उत्पादकता मिशन जैसी सरकारी पहलों से विनिर्माण क्षमताओं को और मजबूती मिलने और सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होने की संभावना है।

भारत की समुद्री बढ़त: जहाज और कंटेनर का निर्माण

घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए समुद्री सेक्टर में कई पहल शुरू की गई हैं।

सितंबर, 2025 में, घरेलू जहाज निर्माण क्षमता, समुद्री वित्तपोषण और कौशल को मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के व्यापक पैकेज की घोषणा की गई थी। इसके निम्नलिखित तीन घटक हैं:

जहाज निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस)

- इस योजना का परिव्यय 19,989 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य भारत की वार्षिक जहाज निर्माण क्षमता को 4.5 मिलियन सकल टन भार (जीटी) तक बढ़ाना है।
- ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण क्लस्टरों को 50:50 केंद्र-राज्य विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से सामान्य समुद्री और आंतरिक बुनियादी ढांचे के लिए 100 प्रतिशत पूंजी सहायता प्राप्त होगी।
- विद्यमान शिपयार्डों को ड्राई डॉक, शिप लिफ्ट, फैब्रिकेशन सुविधाओं और ऑटोमेशन सिस्टम सहित ब्राउनफील्ड विस्तार और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 25 प्रतिशत पूंजीगत सहायता प्राप्त होगी।

- आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण क्लस्टर प्रस्तावित हैं। तीन ब्राउनफील्ड विस्तार परियोजनाओं को भी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

समुद्री विकास कोष

- समुद्री विकास कोष के पास समुद्री सेक्टर में दीर्घकालिक वित्तपोषण में सहायता करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का कोष है। इसमें 49 प्रतिशत सरकारी इक्विटी भागीदारी के साथ 20,000 करोड़ रुपये का समुद्री निवेश कोष शामिल है। इसके अलावा, शिपयार्ड के लिए उधार लेने की लागत को कम करने के लिए इसके पास 5,000 करोड़ रुपये का ब्याज प्रोत्साहन कोष है।

जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएस)

- लागत के नुकसान को दूर करने और वित्तपोषण, क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एसबीएफएस के तहत 24,736 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके दिशानिर्देश 26 दिसंबर 2025 को जारी किए गए थे।

कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (सीएमएस)

घरेलू कंटेनर निर्माण क्षमता का विस्तार करने और वैश्विक कंटेनर आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में सीएमएस की घोषणा की गई थी।

- सीएमएस के तहत पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- सीएमएस ने 7.5 लाख टीईयू तक की वार्षिक घरेलू क्षमता का लक्ष्य रखा है। यह वर्तमान क्षमता का लगभग 10 गुना है।
- जुलाई 2026 में, भारत ने एपी मोलर-मार्स्क के लिए अपना पहला घरेलू रूप से विनिर्मित एक्जिम शिपिंग कंटेनर पेश किया। कंटेनर का अनावरण उत्तर प्रदेश के दादरी में मार्स्क-कॉनकोर अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में किया गया था।

ऑटोमोबाइल: विनिर्माण शक्ति

भारत में एक मजबूत ऑटोमोबाइल उद्योग है, जो व्यापक विनिर्माण क्षमताओं और एक बड़े ऑटो-कंपोनेंट इकोसिस्टम द्वारा समर्थित है। यह दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और वैश्विक स्तर पर यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। यह सेक्टर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी आगे बढ़ा रहा है, जिसे ईवी अंगीकरण अपनाने और सरकारी पहलों का समर्थन प्राप्त है।

- यह सेक्टर पूरे भारत में 30 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।
- वाहन उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में 22.65 मिलियन यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 31.03 मिलियन यूनिट हो गया। वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2025 के बीच कुल उत्पादन लगभग 33 प्रतिशत बढ़ गया।
- ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना: इस योजना को सितंबर 2021 में 25,938 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। यह उच्च मूल्य वाले उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों और उत्पादों को बढ़ावा देता है। इसने मार्च 2026 तक 44,326 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया। इसने इसी अवधि के दौरान 67,820 रोजगार भी सृजित किए।
- पीएम ई-ड्राइव योजना: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में सहायता करने के लिए सितंबर 2024 में शुरू की गई इस योजना का 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय है। यह ई-2 डबल्यू, ई-3 डबल्यू, ई-ट्रक, ई-बसों और ई-एम्बुलेंस सहित लगभग 28.30 लाख ईवी के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। 14,028 ई-बसों के लिए 4,391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 14,000 ई-बसें पहले ही उपयोग में लाई जा चुकी हैं। पूरे भारत में ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए 2,000 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं।

भारत का सोलर पीवी विनिर्माण: त्वरित विकास और विस्तार

भारत के सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे सोलर सेल और मॉड्यूल का घरेलू उत्पादन मजबूत हुआ है। घरेलू पीवी बाजार का मूल्य लगभग 32,400 करोड़ रुपये है और 2030 तक इसके मजबूती से बढ़ने की उम्मीद है।

- घरेलू पीवी बाजार के वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2030 के बीच 17-20 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।
- मॉडल और विनिर्माताओं की स्वीकृत सूची (एएलएमएम) सूचीबद्ध सौर मॉड्यूल क्षमता अगस्त 2025 में 100 गीगावाट तक पहुंच गई। यह 2014 के लगभग 2.3 गीगावाट की तुलना में तेजी से बढ़ा।
- मार्च 2025 में सौर सेल विनिर्माण क्षमता 25 गीगावाट तक पहुंच गई। यह क्षमता 2014 में 1.2 गीगावाट से कम थी।
- सरकार ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना शुरू की। इस योजना में 24,000 करोड़ रुपये की कुल फंडिंग के साथ दो किश्तें हैं और 48 गीगावाट एकीकृत पीवी क्षमता प्रदान की गई है।
- वित्त वर्ष 2025 में पीवी निर्यात वित्त वर्ष 2018 की तुलना में आठ गुना अधिक था। पीएलआई योजना के तहत उच्च सेल-टू-मॉड्यूल क्षमता ने इस वृद्धि में सहायता की।

भावी परिदृश्य

भारत का विनिर्माण सेक्टर आज स्थिर प्रगति, गहरी क्षमता और पूरे उद्योग में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। निरंतर नीतिगत समर्थन और बढ़ती निजी भागीदारी वर्ष-दर-वर्ष इस नींव को सुदृढ़ करना जारी रखती है। जैसे-जैसे नई क्षमताएं परिपक्व हो रही हैं, यह सेक्टर अपनी वैश्विक भूमिका का विस्तार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आने वाले वर्ष व्यापक अवसर, अधिक मूल्य सृजन और एक मजबूत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का वादा करते हैं।

संदर्भ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2230621®=3&lang=1>

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2298236®=48&lang=2>

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2291171®=48&lang=2>

केंद्रीय मंत्रिमंडल:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2284789®=48&lang=1>

रसायन और उर्वरक मंत्रालय: फार्मास्यूटिकल्स विभाग:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2244474®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2286949®=48&lang=1>

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2294248®=48&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2288924®=48&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2209139®=3&lang=2>

वस्त्र मंत्रालय:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2286960®=48&lang=2>

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2290419®=48&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2298236®=48&lang=2>

भारी उद्योग मंत्रालय:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2298052®=48&lang=2>

नीति आयोग:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2298965®=48&lang=1>

पत्र सूचना कार्यालय:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2278107®=48&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2234442®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2273854®=48&lang=2>

पीआईबी अनुसंधान

पीके/केसी/एसकेजे/एम